न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी – महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर – 38 /2020 (राजस्व वाद)

उनवान

श्री नेमीचन्द पिता श्री छीतरमल महाजन निवासी करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेड़ा जिला भीलवाड़ा

वाद पत्र बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 ए राज. टिनेन्सी एक्ट

उपस्थिति :

1. श्री पवन शर्मा, अधिवक्ता – वादी
2. पेरोकार सरकार – प्रतिवादी

::निर्णय::

दिनांक – 17.08.2020

1. वादी नेमीचन्द पिता छीतरमल महाजन निवासी करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा द्वारा वाद पत्र बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 ए राज. टिनेन्सी एक्ट में पेश कर निवदेन किया कि ग्राम करेड़ा पटवार हलका करेड़ा की आराजी संख्या 4277 रकबा 17 बिस्वा जिसमें से 03 बिस्वा बारानी तृतीय व 14 बिस्वा जमीन गै.मु. आवासीय राजस्व रिकार्ड़ में खातेदारी हक से दर्ज है, पर वादी रकबा 1.02 बीघा पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। जिसे वादी ने पूर्व खातेदार कन्हैयालाल पिता जयकिशन लखारा से दिनांक 19.01.1998 से क्रय की जिसका कुल रकबा 1.19 बीघा था तथा क्रय दिनांक से इस पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। राजस्व कर्मचारियों ने रोटेशन की जमाबंदी संवत 2055–2058 में अंकित करते वक्त भूलवश रकबा 01.19 बीघा की बजाय 01.14 बीघा अंकित कर दिया जो बाद की जमाबंदियों में भी 01.14 बीघा ही अंकित होता रहा। इस 01.14 बीघा में से वादी ने 0.17 बीघा महेन्द्र सिंह पिता अुर्जन सिंह को विक्रय कर दी जो वर्तमान में आराजी संख्या 4277/1 रकबा 0.17 बीघा गै.मु.आवासीय से दर्ज रिकार्ड़ है। शेष 0.17 बीघा में 0.14 बीघा गै.मु.आवासीय एवं 0.03 बीघा बारानी तृतीय दर्ज रेकार्ड़ है। वादी ने खातेदार कन्हैया लाल से रकबा 01.19 बीघा जमीन क्रय की थी किन्तु राजस्व कर्मचारियों ने त्रुटि कर 05 बिस्वा जमीन का रकबा कम कर दिया जिसका की राजस्व कर्मचारियों को कोई वैधानिक अधिकार नहीं होने से राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गई त्रुटि को सही करवाने का वादी अधिकारी होने से आराजी नंबर 4277 में रकबा 05 बिस्वा जमीन कम की है का

अधिकारी एवं
कलक्टर करेड़ा

वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर इन्द्राज दुरस्ती कर वादी के नाम पर राजस्व रिकार्ड व नक्शें में 05 बिस्वा जमीन यानि कि आराजी नंबर 4277 का कुल रकबा 08 बिस्वा बारानी तृतीय 14 बिस्वा गैर मुमकिन आवासीय को छोड़ते हुए तद्नुसार 08 बिस्वा जमीन का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया । प्रतिवादी तहसीलदार करेड़ा की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जिसे शामिल फाईल किया गया।

3. प्रतिवादी तहसीलदार करेड़ा के प्रत्युत्तर अनुसार –

1) ग्राम करेड़ा की आधार जमाबंदी संवत 2033 से 2036 में खाता संख्या 938 पर आराजी नंबर 4277 रकबा 1.14 बीघा किस्म बारानी सोयम खातेदार श्री जीवालाल, कन्हैयालाल पिता जेकिशन हिस्सा बराबर लखारा सा. देह के नाम दर्ज थी जो नामान्तरण संख्या 332 दिनांक 01.11.77 विरासत के नोट से जीवालाल के बजाय कन्हैया लाल के नाम दर्ज हुआ अर्थात जमाबंदी संवत 2033 से 2036 मी. खाता संख्या 938 में आराजी नंबर 4277 रकबा 1.14 बीघा किस्म बारानी सोयम खातेदार कन्हैया लाल पिता जेकिशन लखारा सा.देह नाम दर्ज थी।

2) जमाबंदी संवत 2034 से 2037 की जमाबंदी खाता संख्या 1074 में आराजी नं. 4277 रकबा 1.19 बीघा किस्म बारानी सोयम खातेदार कन्हैया लाल पिता जेकिशन लखारा सा.देह के नाम दर्ज है।

3) जमाबंदी संवत 2038 से 2041 की खाता संख्या 1031 में आराजी नंबर 4277 रकबा 1.19 बीघा किस्म बारानी सोयम खातेदार कन्हैया लाल पिता जेकिशन लखारा सा.देह के नाम दर्ज रेकार्ड़ है।

4) जमाबंदी संवत 2043 से 2046 की खाता संख्या 1234 में आराजी नंबर 4277 रकबा 1.19 बीघा किस्म बारानी सोयम खातेदार कन्हैया लाल पिता जेकिशन लखारा सा.देह नाम दर्ज रेकार्ड़ है।

5) जमाबंदी संवत 2047 से 2050 की खाता संख्या 1312 में आराजी नंबर 4277 रकबा 1.19 बीघा किस्म बारानी सोयम खातेदार कन्हैया लाल पिता जेकिशन लखारा सा.देह नाम दर्ज रेकार्ड़ है।

6) जमाबंदी संवत 2051 से 2054 की खाता संख्या 1560 में आराजी नंबर 4277 रकबा 1.19 बीघा किस्म बारानी सोयम खातेदार कन्हैया लाल पिता जेकिशन लखारा सा.देह के नाम दर्ज थी जो नामान्तकरण संख्या 712 दिनांक 14.02.1998 बेचान से कन्हैया

अधिकारी पदेन
कलक्टर करेड़ा

[illegible] पिता [illegible] के बजाय नेमीचन्द पिता छीतरमल बोहरा महाजन खातेदार के नाम पर दर्ज हुई।

7) जमाबंदी संवत 2055 से 2058 की खाता संख्या 1017 में आराजी नंबर 4277 रकबा 1.14 बीघा किस्म बारानी सोयम खातेदार नेमीचन्द पिता छीतरमल महाजन सा.देह के नाम दर्ज रेकार्ड थी।

8) जमाबंदी संवत 2059 से 2062 की खाता संख्या 574 में आराजी नंबर 4277 रकबा 1.14 बीघा किस्म बारानी तृतीय खातेदार नेमीचन्द पिता छीतरमल महाजन सा.देह के नाम दर्ज रिकार्ड थी।

9) जमाबंदी संवत 2063 से 2066 की खाता संख्या 633 में आराजी नंबर 4277 रकबा 1.14 बीघा किस्म बारानी तृतीय खातेदार नेमीचन्द पिता छीतरमल महाजन सा.देह के नाम दर्ज रिकार्ड थी। जो नामान्तरण संख्या 1445 बेचान दिनांक 20.08.2017 से अजय कुमार पिता श्यामलाल सोनी 1/34 एवं नामान्तरण संख्या 1446 बेचान दिनांक 20.08.2017 से श्याम लाल पिता मेवालाल सोनी 1/34 शेष 32/34 बदस्तुर रही।

10) जमाबंदी संवत 2067 से 2070 की खाता संख्या 650 में आराजी नंबर 4277 रकबा 1.14 बीघा किस्म बारानी तृतीय खातेदार नेमीचन्द पिता छीतरमल महाजन 32/34 अजय कुमार पिता श्यामलाल सोनी 1/34 एवं श्याम लाल पिता मेवालाल 1/34 सोनी सा. देह के नाम दर्ज थी।

11) जो नामान्तरण संख्या 5317 दिनांक 13.01.2013 बेचान से सम्पूर्ण खाता नेमीचन्द पिता छीतर मल महाजन सा. देह के नाम पर दर्ज हुई बाद नामान्तरण संख्या 5318 दिनांक 14.01.2013 बेचान से आराजी नंबर 4277 रकबा 1.14 बीघा में से नवीन आराजी नंबर 4277/1 रकबा 0.17 बीघा किस्म बारानी तृतीय महेन्द्रसिंह पिता अर्जुनसिंह [illegible] सा. वायडिया के नाम दर्ज होकर नामान्तरण संख्या 5409 दिनांक 25.03.2013 रूपान्तरण से आराजी नंबर 4277/1 रकबा 0.17 बीघा की किस्म आवासीय दर्ज हुई एवं नामान्तरण संख्या 5410 दिनांक 25.03.2013 रूपान्तरण से आराजी नंबर 4277 रकबा 0.17 बीघा में से 0.14 किस्म आवासीय व 0.03 बीघा किस्म बारानी तृतीय दर्ज हुई।

12) जमाबंदी संवत 2071 से 2074 की खाता संख्या 1190 में आराजी नंबर 4277/1 रकबा 0.17 बीघा किस्म गै.मु. आवासीय खातेदार महेन्द्रसिंह पिता अर्जुनसिंह सा0 वायडिया के नाम एवं खाता संख्या 740 में आराजी नंबर 4277 रकबा 0.17 बीघा

अधिकारी [illegible]
[illegible]

किस्म गै.मु. आवासीय (0.14) बारानी तृतीय (0.03) खातेदार नेमीचंद पिता छीतर मल महाजन सा0 देह के नाम दर्ज रिकाड़ है।

इस प्रकार राजस्व रिकाड़ जमाबंदियों के अवलोकन से आधार जमाबंदी संवत 2033 से 2036 की खाता संख्या 938 में आराजी नंबर 4277 रकबा 1.14 बीघा किस्म बारानी सोयम दर्ज था। जो रोटेशन जमाबंदी संवत 2034 से 2037 की खाता संख्या 1074 में आराजी नंबर 4277 का रकबा सहवन से वक्त लिखाई 1.14 बीघा के बजाय 1.19 बीघा लिख दिया गया। जो पुनः अगली रोटेशन जमाबंदियों में संवत 2054 तक उक्त आराजी का रकबा 1.14 बीघा के बजाय 1.19 बीघा ही लिखा गया ।

वक्त रोटेशन जमाबंदी संवत 2055 से 2058 की खाता संख्या 1017 में आराजी नंबर 4277 रकबा पुनः 1.19 बीघा के बजाय 1.14 बीघा किस्म बारानी सोयम शुद्वि पत्र द्वारा दर्ज किया गया। इसके बाद निरन्तर रोटेशन जमाबंदियों में आराजी नंबर 4277 का रकबा 1.14 बीघा यथावत दर्ज रिकाड़ है।

जो वर्तमान जमाबंदी संवत 2071 से 2074 की खाता संख्या 1190 में आराजी 4277/1 रकबा 0.17 बीघा किस्म गै.मु. आवासीय व खाता संख्या 740 में आ.नंबर 4277 रकबा 0.17 बीघा किस्म गै.मु. आवासीय (0.14) बारानी तृतीय (0.03) दर्ज रिकाड़ है।

वर्तमान उपलब्ध चालू राजस्व नक्शें में भी आराजी नंबर 4277 का रकबा बरारी करने पर क्षेत्रफल में भी 1.14 बीघा ही आता है।

सेटलमेंट से पूर्व की जमाबंदी संवत 2017 से 2020 की खाता संख्या 707 पर साबिक आराजी नंबर 2899 रकबा 2.07 बीघा किस्म हकत द्वितीय खातेदार जीवालाल , कन्हैया लाल पिता जैकिशन लखारा सा. देह. के नाम पर दर्ज रिकार्ड है।

4. वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादी के जवाब के आधार पर तनकियात कायम की गई, वादी द्वारा शपथपत्र, गवाहान पेश किए गयें। प्रतिवादी द्वारा जिरह नहीं की जाकर जवाब को ही साक्ष्य व बहस के रूप में स्वीकारने का निवेदन किया । वादी अधिवक्ता की तर्क बहस सुनी गई।

5. मैनें पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व साक्ष्यों तथा तहसीलदार करेड़ा के जवाब एवं दस्तावेजों / साक्ष्यों का अवलोकन किया । उभय पक्षों की बहस पर चिंतन मनन किया। अवलोकन व रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार सेटलमेंट से पूर्व की जमाबंदी संवत 2017 से 2020 की खाता संख्या 707 पर साबिक आराजी नंबर 2899 रकबा 2.07 बीघा किस्म हकत द्वितीय

अधिकारी व कलक्टर करेड़ा

खातेदार जीवालाल , कन्हैया लाल पिता जैकिशन लखारा सा. देह. के नाम पर दर्ज रिकार्ड है। प्रत्युत्तर के साथ पेश भू–प्रबंध (सेटलमेंट) विभाग की पर्चा खतौनी के शीर्षक में भी 2 बीघा 7 बिस्वा कनवर्ट 2 बीघा लिखा हुआ है परन्तु नीचे विवरण क्षेत्रफल में 01 बीघा 14 बिस्वा लिख दिया गया। वादी ने पूर्व खातेदार कन्हैया लाल पिता जयकिशन लखारा निवासी करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा से अपनी घोषणा योग्य वास्तविक अधिकारिता की 2 बीघा सेटलमेंट द्वारा कन्वर्टेड में से तत्समय रिकार्ड के अनुसार कुल रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा दिनांक 19.01.1998 को जरिये रजिस्ट्री उप पंजीयक करेड़ा के दस्ता पत्र क्रमांक 604 से क्रय कर अपने आधिपत्य में ली, जिसके कुल रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा का वादी के नाम विधिवत रूप से नामान्तरण संख्या 712 दिनांक 14.02.1998 को खोला गया, जिसकी कोई अपील भी सक्षम न्यायालय में नहीं की गई तथा क्रय दिनांक से ही वादी उक्त आराजी के रकबे 01 बीघा 19 बिस्वा पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग करने लग गया। वादी की भूमि का कुल रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा था जो जमाबंदी सवंत 2034 से लगातार 2051 – 2054 दर्ज रिकार्ड चला आ रहा था।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ, अतः

::आदेश::

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नंबर 4277 में 01 बीघा 14 बिस्वा के अतिरिक्त कम हुई 05 बिस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार करेड़ा वादी की आराजी नंबर 4277 के कुल रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा के अनुसार 14 बिस्वा के गै.मु. आवासीय के साथ–साथ 08 बिस्वा बारानी तृतीय को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर नक्शें में तरमीम करे । तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करें।

(महीपाल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर करेड़ा

निर्णय आज दिनांक 17.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर करेड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा

:: मूल वाद में डिकी ::

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

ठासीन अधिकारी – महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

क़दमा नंबर – 38 /2020 (राजस्व वाद)

उनवान

श्री नेमीचन्द पिता श्री छीतरमल महाजन निवासी करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेड़ा जिला भीलवाड़ा

वाद पत्र बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 ए राज. टिनेन्सी एक्ट

वादी की ओर से श्री पवन कुमार शर्मा , एडवोकेट तथा प्रतिवादी पेरोकार सरकार की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 17.08.2020 को न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिकी की जाती है कि –

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी के इस आश्य की जारी की जाती है कि ग्राम करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नंबर 4277 में 01 बीघा 14 बिस्वा के अतिरिक्त कम हुई 05 बिस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार करेड़ा वादी की आराजी नंबर 4277 के कुल रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा के अनुसार 14 बिस्वा के गै.मु. आवासीय के साथ–साथ 08 बिस्वा बारानी तृतीय को राजस्व रिकार्ड़ में दर्ज कर नक्शें में तरमीम करे । खर्चा फ़रिकेन अपना–अपना वहन करें।

(महीपाल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर करेड़ा

निर्णय आज दिनांक 17.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर करेड़ा